देश की कम संख्या और तारीख़	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर शस्त्र वाद सं. 110/2014	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
9/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **राकेश कुमार वत्स, पिता-जितेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्रा0+पो0-रेवाड़ी, थाना-कोपा, जिला-सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 3758/गो0 10.11.07 के द्वारा आवेदक राकेश कुमार वत्स, पिता-जितेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्रा0+पो0-रेवाड़ी,थाना-कोपा, जिला-सारण का एन.पी.बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच प्रतिवेदन के उपरान्त आरम्भ किया गया है। यह सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 12487/2010 में पारित आदेश दिनांक 9.9.14 से संबंधित है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.5.09 के द्वारा सुनवाई एवं परिसीलन के उपरान्त आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन दिनांक 5.11.2004 को अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसके विरूद्व आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के यहाँ अपील दायर किया गया। विद्वान आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.5.10 में इस न्यायालय के द्वारा पारित दिनांक 10.5.09 को वैध (upheld) पाया गया। तत्पश्चात् आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद सं0 12487/2010 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 9.9.14 को पारित आदेश में निर्देश किया गया कि मामले की पुनः सुनवाई कर विधि-सम्मत् आदेश जिला दंडाधिकारी के द्वारा पारित किया जाए। उक्त आदेश के आलोक में आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसके आलोक में सुनवाई की प्रकिया प्रारंभ की गयी। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता की उपस्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पर सुनवाई की गयी तथा अभिलेख में संधारित सभी जॉच प्रतिवेदनों एवं कागजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।	

शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के संदर्भ में सुनवाई के कम में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बतलाया गया कि आवेदक नैरोबी (केन्या) में रहते हैं। वहॉ वे एक निजी कम्पनी में सी.ए. के पद पर कार्यरत हैं और बराबर घर आते–जाते रहते हैं, जिस कम में असामाजिक तत्वों के द्वारा उनपर दबाव बनाए रखने की शिकायत की गयी। आवेदक के पिता श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह के नाम से एक .315 बोर रायफल है, जिसकी अनुज्ञप्ति सं0 94/04 है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए उन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवेदक के जानमाल के विरूद्व किसी प्रकार के खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं था, इसलिए इस न्यायालय के पत्रांक 1023 दिनांक 5.12.14 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा से स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण के ज्ञापांक 5438/गो0 दिनांक 9.12.14 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5438/गो0 दिनांक 9.12.14 के द्वारा थानाध्यक्ष, कोपा थाना के प्रतिवेदन (ज्ञापांक डी.आर. 2289 दिनांक 8.12.14 के द्वारा प्रेषित) को संलग्न कर प्रेषित किया गया है। थानाध्यक्ष, कोपा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक नैरोबी (केन्या) में निजी कम्पनी में सी.ए. के पद पर कार्यरत हैं और बराबर घर आते–जाते रहते हैं, जिस कम में असामाजिक तत्वों के द्वारा इन पर दबाव बनाए रखने की बात बतायी जाती है।

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के विरूद्व किसी प्रकार के खतरे की कोई आशंका स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित नहीं है। साथ ही वे विदेश में रहते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में उन्हें किसी प्रकार के शस्त्र की अनुज्ञप्ति देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप सं0—7 / अनु0—10—25 / 2010 गृ0आ0 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक राकेश कुमार वत्स, पिता–जितेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्रा0+पो0–रेवाड़ी,थाना–कोपा, जिला–सारण के द्वारा दिनांक 5.11.2004 को एन.पी.बोर. पिस्टल की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 27 / न्या० दिनांक 13/01/2015

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, सारण / जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, सारण, छपरा को इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

13/1/15
वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
13/1/15 सारण, छपरा।